वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर की वित्त समिति की बैठक मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक–25.08.2020 को विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्तः–

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही–

1.	प्रो0 डा0 निर्मला एस0 मौर्य कुलपति		अध्यक्ष
2.	श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला अपर निदेशक,पेंशन एवं कोषागार वाराणसी परिक्षेत्र,वाराणसी।	(प्रतिनिधि,अपर मुख्य सचिव,वित्त) उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।	सदस्य
3.	डा0 ज्ञान प्रकाश वर्मा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी।	(प्रतिनिधि,अपर मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा) उ0प्र0शासन,लखनऊ	सदस्य
4.	प्रो0जे0एन0मिश्रा, जे–6 सोनल अपार्टमेन्ट, जार्ज टाउन, इलाहाबाद–211002		सदस्य
5.	श्री सुजीत कुमार जायसवाल कुलसचिव		सदस्य
6.	श्री व्यास नारायण सिंह परीक्षा नियंत्रक		सदस्य
7.	एम0के0सिंह वित्त अधिकारी		सदस्य/सचिव

सर्वप्रथम सदस्य/सचिव द्वारा मा0 कुलपति जी का स्वागत किया गया। तत्पश्चात निर्धारित कार्य सूची के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।

प्रस्ताव सं0–1

दिनांक– 6.8.2019 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।

समिति अनुपालन आख्या से संज्ञानित हुई।

प्रस्ताव सं0–2

दिनांक–6.8.2019 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त के पुष्टि पर विचार। निर्णय–

समिति द्वारा सर्व सम्मति से दिनांक–6.8.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। दिनांक–10.8.2019 को कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है।

प्रस्ताव सं0–3

वित्तीय वर्ष 2018–19 के बैलेंस शीट के अनुमोदन के सम्बन्ध पर विचार।

निर्णय–

समिति द्वारा सर्व सम्मति से बैलेंस शीट अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–4

वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

समिति द्वारा सर्व सम्मति से वित्तीय वर्ष 2020–21 का आय–व्ययक अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी तथा आगामी माहों में मदों में व्ययाधिक्य की स्थिति में व्यय हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव सं0–5

बी0एस–सी0,नर्सिंग पाठ्यक्रम के पूरक परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क निर्धारित करने पर विचार।

निर्णय

बी0एस–सी0 (नर्सिंग) व्यवसायिक पाठ्यक्रम है जो अन्य पाठ्यक्रमों से अलग प्रकृति का है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सर्व सम्मति से बी0एस–सी (नर्सिंग) में पूरक परीक्षा हेतु रू0 1,000/– प्रति प्रश्न पत्र शुल्क निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–6

विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के उपरांत कतिपय विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश छोड़ देने के उपरांत जमा शुल्क वापसी परं विचार।

निर्णय

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र यदि प्रवेश की अन्तिम तिथि तक शुल्क वापसी की मांग करते हैं तो 40 प्रतिशत की कटौती कर शुल्क वापस किया जायेगा। अन्तिम तिथि के उपरांत शुल्क वापस न किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–7

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा नये पाठ्यकमों/विषयों में नये सिरे से सम्बद्धता शुल्क निर्धारण किये जाने पर विचार।

निर्णय

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिये नये पाठ्यक्रमों/विषयों की नये सिरे से सम्बद्धता शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रो0 जे0 एन0 मिश्रा, सदस्य वित्त समिति, परीक्षा नियंत्रक एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी की तीन सदस्यीय समिति बनायी गयी। समिति द्वारा सम्बद्धता शुल्क की दरें निर्धारित करने के उपरांत रिर्पोट वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

प्रस्ताव सं0–8

प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को पारिश्रमिक/मानदेय निर्धारित किये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण नियम संगत न होने की कारण निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–9

डी0बी0टी0, यू0जी0सी, सी0एस0आई0 आर0 एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त परियोजनाओं में कार्यरत सहायक का पारिश्रमिक निर्धारित किये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रोजेक्ट में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के साथ ही पारिश्रमिक की अधिकतम धनराशि रू0 1,000/– निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव स0–10

कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र हेतु विश्वविद्यालय के वित्तीय बजट में बजट प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गयी तथा कार्यक्रम की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए अन्य बाह्य श्रोतों से धन प्राप्त किये जाने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया।

प्रस्ताव सं0–11

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर के शिक्षक संघ के महामंत्री, डा0 राहुल सिंह के अनुरोध पर नोडल केन्द्र पर प्रश्नपत्र विवरण हेतु प्रति शिक्षक रू0 9,000/– तृतीय श्रेणी रू0 3,000/– एवं चतुर्थ श्रेणी रू0 2,000/– पारिश्रमिक के रूप में बढ़ाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

निर्णय

वर्तमान समय में कोविड–2019 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व व्यवस्था ही बनाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव सं0–12

विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि पर विचार।

निर्णय–

समिति द्वारा सर्व सम्मति से उत्तर प्रदेश में लागू न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को रू0 4,000/– तथा तृतीय श्रेणी कर्मियों को रू0 5,000/– मासिक मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी

प्रस्ताव सं0–13

एम0टेक0 पाठ्यक्रम में शिक्षण शुल्क निर्धारण किये जाने पर विचार।

निर्णय

तत्कालीन कुलपति जी द्वारा एम0टेक0 पाठ्यक्रम हेतु रू0 40,000/–शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया। समिति संज्ञानित हुई तथा शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क लिये जाने की संस्तुति की गयी।

<u>अन्य शुल्क का विवरण निम्नवतः–</u>

1	नामांकन शुल्क(प्रथम वर्ष)	रू0	200.00
2	उपाधि शुल्क(अंतिम वर्ष	रू0	200.00
3	छात्र कल्याण शुल्क	रू0	100.00
4	कीड़ा शुल्क	रू0	150.00
5	रोवर्स/रेंजर्स	रू0	24.00(स्नातक स्तर पर)
6	परीक्षा शुल्क	रू0	2,000/–प्रति सेमेस्टर

प्रस्ताव सं0–14

डी0 फार्मा0 पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारित किये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से डी0 फार्मा0 पाठ्यक्रम हेतु रू0 45,500/– शिक्षण शुल्क एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क प्रस्ताव सं0–13 के अनुसार लिये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–15

महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2017–18 में अधिक जमा परीक्षा शुल्क के वापसी के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से छात्रों का पूर्ण विवरण **(छात्र का नाम, पिता का नाम, बैक का नाम, आईएफसी कोड एवं खाता नम्बर)** प्राप्त कर अधिक शुल्क वापसी छात्रों के खाते में ही किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–16

Central Advanced Facilities For Materials Characterization (CAFMC) के नाम से खाता खोले एवं टेस्ट की दरें अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से **Central Advanced Facilities For Materials Characterization (CAFMC)** के नाम से खाता खोले जाने तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रकार दरें अनुमोदित किये जाने

की संस्तुति की गयी। खाते का संचालन वित्त **अधिकारी द्वारा किया जायेगा।** एवं निदेशक, राजेन्द्र सिंह संस्थान के द्वारा संचालित किया जायेगा।

Central Advanced Facilities for Materials Characterization					
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) Institute of Physical Sciences for Study and Research, VBS Purvanchal University, Jaunpur					
Sl. No.	Charge rates				Slot duration
	Equipment	Internal, VBSPU	Academic Institutions	R&D labs Industry (+ service tax)	
1.	FE-SEM	₹ 1800*	₹ 3600*	₹ 10000*	1 hours
2.	EDS	₹ 1800*	₹ 3600*	₹ 10000*	1 hours
3.	HR-XRD	₹ 1300 (for powder of thin film)	₹ 2400*	₹ 8000*	1 hours
4.	UV-Vis. (per sample)	₹ 100	₹ 200	₹ 1000	1 hours
5.	FTIR (in KBr)	₹ 400	₹ 800	₹ 2000	1 hours
6.	FTIR (ATR)	₹ 300	₹ 600	₹ 1500	1 hours
7.	APS-100	₹ 900	₹ 1800	₹ 8000	Per sample
8.	TPS-500S	₹ 1800	₹ 3600	₹ 12000	Per sample
9.					
* charges for Au/ C/ Pd coating : ₹ 200 extra					
I.	In one slot maximum 4 samples would be considered.				
II.	Extra GST 18% would have to pay for all academic and industry users.				
III.	Users must have to acknowledge CAFMC, Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) Institute of Physical Sciences for Study and Research, VBS Purvanchal University, Jaunpur for providing experimental facility.				

प्रस्ताव सं0–17

बी0टेक0की अतिरिक्त सीटों पर शिक्षण शुल्क रू0 1,00,000/– के स्थान पर रू0 61,000/– किये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से कोविड–2019 को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में संचालित इंजीनियरिंग, एम0सी0ए0, प्रबंध संकाय, विज्ञान संकाय, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान संकाय पाठ्यक्रमों में सत्र 2020–21 में अतिरिक्त सीट के लिये रू0 61,000/–शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क प्रस्ताव सं0–13 के अनुसार लिये जाने की संस्तुति की गयी। ऐसे प्रवेशित छात्रों से आगामी वर्षों में शिक्षण शुल्क प्राप्त किये जाने के लिये वित्त समिति की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

प्रस्ताव सं0–18

शासनादेश संख्या–214/70–4/2000–(7)/94, दिनांक–4.2.2000 के कम में पाठ्यक्रम की आय से ही वेतनादि आदि का भुगतान किये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से परिसर के समस्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के खाते अलग–अलग रखने का निर्देश दिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि ऋणात्मक आय वाले विभागों पर उचित प्रशासनिक निर्णय लिया जाय।

प्रस्ताव सं0–19

तकनीकी सेल के अध्यापकों/कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान पर विचार।

निर्णय

तत्कालीन कुलपति (प्रो0 राजाराम यादव) के आदेश जिसमे पारिश्रमिक न दिये जाने का निर्णय लिया गया है। चूँकि तकनीकी सेल द्वारा आदेश से पूर्व कार्य करा लिया गया था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सर्व सम्मति से पारिश्रमिक भुगतान किये जाने साथ ही भविष्य में परिसर के पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं व मूल्यांकन के कार्यो का पारिश्रमिक परिसर के पाठ्यक्रमों की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न दिये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–20

CentraTEQIP-III के सम्बन्ध में **Sustainbility Fund** स्थापित किये जाने पर विचार।

निर्णय

इंजीनियरिंग संकाय की पर्याप्त आय न होने के कारण **Sustainbility Fund** स्थापित किये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी। समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि निदेशक **TEQIP-III** द्वारा शासन से इस धनराशि की मांग कर अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

प्रस्ताव सं0–21

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उत्तर प्रदेश,प्रयागराज के सम्प्रेक्षक दल द्वारा उठायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में विचार।

विद्युत मूल्य एवं जल मूल्य वसूल न किये जाने से विश्वविद्यालय को आर्थिक क्षति

(1) समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित आवासों में रहने वाले अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ए0सी0 का प्रयोग किया जा रहा है जिसके विरूद्ध कोई भी भुगतान विद्युत मद में नहीं किया जाता है। समिति द्वारा सर्व सम्मति से ए0सी0 पर रू0 1,000/–प्रतिमाह विद्युत मूल्य सितम्बर 2020 से वसूल किये जाने की संस्तुति की गयी।

(2) समिति द्वारा सर्व सम्मति से रू0 50/– प्रति आवास जल मूल्य वसूल किये जाने की संस्तुति की गयी। उपरोक्त दोनों प्रकार के शुल्क **Transit** आवास के अध्यापकों पर भी लागू होगें।